ऐसा न करना इस अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है ;

- (ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को मूल पत्र श्रंग्रेजी में जारी किए गए हैं भीर यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; श्रौर
- (घ) भविष्य में इन राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बटा सिंह): (क) यहां का अधिकांश पत्र व्यवहार, पूर्तिकर्ताध्रों के साथ, ठेकों द्वारा खरीद के बारे में होता है। प्रन्य पत्र व्यवहार सामान्यतया केन्द्रीय सरकार के विभागों से होता है। 'क' भ्रीर 'ख' क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को मूल रूप से भेजे गए पत्रों की अलग-ग्रलग संख्या उप-लब्ध नहीं है।

- (ख) जी हां।
- (ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) में बता दिया गया है।
- (घ) इस मंत्रालय के सभी कार्यालयों तथा ग्रधिकारियों को पहले ही हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि राजमाषा ग्राध-नियम, 1963 के उपबन्धों के श्रनुसार हिन्दी भाषी राज्यों को पत्र हिन्दी में ही लिखे जायें ।

राज्यों को हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गये पत्नों की संख्या

- 2311. श्री रामावतार शास्त्री: नया निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
 - (क) उनके मंत्रालय/विभाग द्वारा 1982 की प्रथम छमाही में 'क' भीर 'ख'

क्षेत्रों के प्रत्येक राज्य को मूल रूप से कुल कितने मूल पत्रादि भेजे गये हैं भ्रौर अभे जी ग्रीर हिन्दी के पत्रों का ग्रलग-ग्रलग ब्योरा क्या है;

- (ख) क्या राजभाषा श्रधिनियम 1963 में इन सभी राज्यों को पत्रादि मूल रूप से हिन्दी में जारी करने का उपबन्ध है श्रीर ऐसान करना इस प्रधिनियम के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन है ;
- (ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को पत्रादि मूल रूप से ग्रंग्रेजी में भेजे गए ये श्रीर यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;
- (घ) भविष्य में इन राज्यों को पत्रादि मुल रूप से हिन्दी में भेजना सुनिध्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Development of High Yielding Variety of Pulses

2313. SHRI R. L. BHATIA: Will the Minister of AGRICUL-TURE be pleased to state:

- (a) the steps taken to develop high yielding variety of pulses in the Northern Region and to increase their production; and
- (b) the additional area brought under pulse production and the target of production during current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOP-MENT (SHRI R. V. SWAMI-NATHAN): (a) In order to develop

high yielding varieties of pulses, research efforts are being made under the All India Coordinated Pulses Improvement Project in collaboration with the Agricultural Universities and the Indian Council of Agricultural Research Institutes. Two pronged research strategy viz., (i) development of early maturing varieties which can fitted in multiple cropping system, and (ii) development of better yielding varieties for introducing in traditional pulses growing areas has been followed in the country including Northern Region. Efforts are also being made to develop high-yielding and early maturing varieties and to multiply the seed of these varieties in enough quantities for supply to the farmers.

(b) The additional area brought under pulse production from 1979-80 to 1980-81 is as follows:-

(Area in million ha.)

Year	Total area	Additional increase
1979-80	22.26	—
1980-81 1981-82	22.46 23.87	0.20 1.41

A target of 13.5 millions of production of pulses has been fixed during the current year.

आयातित गेहं की ढुलाई

2314. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : श्री निहाल सिंह:

क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्रब तक ग्रायातित गेहं की कितनी मात्रा ग्रा चुकी है तथा क्या इसे विभिन्न राज्यों को ग्राबंटित करने के लिए केन्द्रीय रक्षित भण्डार में रखा जायेगा :
- (ख) यदि हां, तो इस में से राज्यवार कितनी मात्रा भाबंटित की गई है;

- (ग) शेष मात्रा के कब तक पहुँचने को आशा है ; भीर
- (घ) क्या इस गेहं की ढ्लाई भारतीय जहाजों से की जा रही है श्रीर यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) संयुक्त राज्य ग्रमेरिका से म्रायात के लिए हाल ही में ठेका की गई गेहूँ का कोई जहाज श्रभी तक भारत में नहीं पहुँचा है। भारत में पहुँचने पर आयातित गेहं केन्द्रीय पूल के स्टाक का ग्रंग होगा जिसका ग्राव-श्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाना है।

- (ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर की दिष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।
- (ग) परिदान अनुसूची के ग्रनुसार धायात किए जा रहे गेहं को सितम्बर, 1982 से मार्च, 1983 के दौरान श्रमेरिकी बन्दरगाहों से जहाजों पर भेजा जाना है।
- (घ) सरकार की नीति के श्रनुसार यह सुनि दिचत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि संयुक्त राज्य ग्रमिरिका से खरीदे गए गेहूं को यथासम्भव ग्रिधिक से श्रविक भारतीय जहाजों से लाया जाए। जब उपयुक्त भारतीय जहाज ग्रपेक्षित स्थिति में उपलब्ध नहीं होंगे तब विदेशी जहाजों को किराये पर लिया जाएगा।

Report of Indus Commission

- 2315. SHRI R. L. BHATIA: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:
- (a) whether the permanent Indus Commission has since submitted its annul report for the year ending 31 March, 1982: